स्माइल-बी पर राष्ट्रीय कार्यशाला

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (MoSJE) ने **इंदौर** में एक **राष्ट्रीय कार्यशाला** एवं **अभिविन्यास कार्यक्रम** का आयोजन किया, जिसमें भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के उद्देश्य से स्माइल-बी उप-योजना पर ध्यान केंद्रित किया गया।

मुख्य बिंदु

स्माइल-बी के बारे में:

- यह SMILE पहल की एक **उप-योजना** है, जिसका उद्देश्य **भीख माँगने में संलग्न व्यक्तियों** को **सम्मानजनक** एवं **स्थायी समर्थन** के साथ **समाज की मुख्यधारा** में पुनः **शामिल** करके 'भिक्षावृत्ति मुक्त भारत' का निर्माण करना है।
- **दिसंबर 2024** तक यह योजना **81 शहरों/कस्बों** में लागू की जा चुकी है, जिनमें प्रमुख **तीर्थस्थल**, **ऐतिहासिक स्थल** एवं **पर्यटन स्थल** शामिल हैं।
- **अगले चरण** में इसका विस्तार **50 अतिरिक्त शहरों** तक करने का **लक्ष्य** निर्धारित किया गया है।
- **अप्रैल 2025** तक भारत में **9,958 व्यक्तियों** की पहचान **भीख माँगने में संलग्न** के रूप में की गई है, जिनमें से **विभिन्न योजना हस्तक्षेपों** के माध्यम से **970 व्यक्तियों** का **सफलतापूर्वक पुनर्वास** किया गया है।

राष्ट्रीय कार्यशाला और अभिविन्यास कार्यक्रम के बारे में:

- इस कार्यक्रम में **भीख माँगने में संलग्न व्यक्तियों** के लिये **बचाव कार्य**, **प्राथमिक पुनर्वास** और **आजीविका** पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया।
- **कार्यशाला** में **राज्य नोडल अधिकारियों**, शहरी स्थानीय निकाय **(ULB)** के **प्रतिनिधियों**, **गैर सरकारी संगठनों** तथा **नागरिक समाज समूहों** सहित विविध **प्रतिभागियों** ने भाग लिया।
- प्रतिभागियों ने **SMILE-B योजना** के **कार्यान्वयन** में आने वाली **चुनौतियों** और अपनाई गई **श्रेष्ठ प्रथाओं** पर केंद्रित **विचार-विमर्श** किया।

SMILE योजना के बारे में

- **अक्तूबर 2023** में प्रारंभ की गई **SMILE योजना** (*Support for Marginalized Individuals for Livelihood and Enterprise*) का उद्देश्य **'भिक्षावृत्ति मुक्त भारत'** का निर्माण करना है।
- **पुनर्वास रणनीति:** इस योजना के अंतर्गत:
  - **पहचान**, **पहुँच** और **पुनर्वास** के लिये **स्थानीय निकायों** के साथ समन्वय किया जाता है।
  - **फोटो/वीडियो दस्तावेज़ीकरण** के माध्यम से **सहानुभूतिपूर्ण जुड़ाव** और **व्यक्तिगत प्रोफाइलिंग** की जाती है।
  - ज़िला प्रशासन, **गैर सरकारी संगठन**, स्वयं सहायता समूह तथा **मंदिर ट्रस्ट** जैसे संस्थान **परामर्श**, **शिक्षा** तथा **पुनः एकीकरण सहायता** जैसी सेवाएँ प्रदान करते हैं।

भिक्षावृत्ति

- भिक्षावृत्ति में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से **भीख माँगना** शामिल होता है, जैसे **गाना**, **वस्तुएँ बेचना** या **शारीरिक विकृतियाँ प्रदर्शित करना**।
  - **इंदौर (मध्य प्रदेश)** को **'भिक्षावृत्ति मुक्त भारत'** पहल के तहत भारत का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित किया गया है।
- **स्थिति:**
  - जनगणना 2011 के अनुसार, भारत में **4.13 लाख भिखारी** हैं, जिनमें सर्वाधिक संख्या **उत्तर प्रदेश**, **बिहार**, **महाराष्ट्र** और **मध्य प्रदेश** में है।
  - सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (SECC) 2011 के अनुसार, **6.62 लाख ग्रामीण परिवार** अपनी आजीविका के लिये **भीख माँगने** पर **निर्भर** हैं।

- **संवैधानिक आधार:**
  - **अवारागर्दी** (जिसमें भिक्षावृत्ति शामिल है) **समवर्ती सूची** (सूची-III, प्रविष्टि 15) के अंतर्गत आती है, जहाँ **केंद्र** और **राज्य**, दोनों को **कानून** बनाने का अधिकार है।
- **केंद्रीय कानून का अभाव:**
  - भारत में **भीख माँगने** से संबंधित कोई **एक समान केंद्रीय कानून** नहीं है।
  - वर्तमान में **बॉम्बे भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1959** प्रमुख कानून के रूप में लागू है, जो **भीख माँगने को अपराध** घोषित करता है और **भिखारियों की व्यापक परिभाषा** प्रस्तुत करता है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/national-workshop-on-smile-b